

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017 (श्रावण 06, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र 158-इच्छावर श्री शैलेन्द्र पटेल, 184-कसरावद श्री सचिन यादव, 226-सुवासरा श्री हरदीप सिंह डंग, 186-भगवानपुरा (अ.ज.जा.) श्री विजय सिंह सोलंकी तथा 210-राऊ से निर्वाचित सदस्य श्री जितू पटवारी को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर, रेंज भोपाल की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 26.07.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 27.07.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि धारा 151/107, 116 (3) जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों श्री शैलेन्द्र पटेल, श्री सचिन यादव, श्री हरदीप सिंह डंग, श्री विजय सिंह सोलंकी एवं श्री जितू पटवारी को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के उपरोक्त सभी सदस्यों को दिनांक 26.07.2017 को 15.00 बजे बंदी कर उसी दिन 17.50 बजे विमुक्त कर दिया गया है. ”

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.